

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक 11(4)त शि / 2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक, 27 जनवरी, 2021

स्वीकृति संख्या :- 27 / 2021-22

प्राचार्य/डीन

अभियांत्रिकी महाविद्यालय,

भरतपुर/महिला अजमेर/बासवाडा/सीटीईई,उदयपुर/अजमेर/झालावाड/बीकानेर/एमएलवीटीईसी, भीलवाडा/यूसीईटी, बीकानेर/एमवीएम जोधपुर/यूडी, कोटा।

विषय :- टेक्यूप-III परियोजना 31 मार्च, 2022 तक पूर्व में कार्यरत टेक्यूप फेकल्टी के माध्यम से जारी रखने हेतु अतिरिक्त प्रावधान बाबत।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि टेक्यूप-III परियोजना 31 मार्च, 2022 तक पूर्व में कार्यरत टेक्यूप फेकल्टी के माध्यम से जारी रखने हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान (Over and above proposed RE 2021-22) एवं इस राशि को संबंधित संस्थानों के पी.डी खाते में हस्तान्तरण की सहमति निम्न शर्तों के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

S.No	Name of Insititute	Budget head (Rajya Nidhi)	Faculties reforms	Academic	Operati ng cost	Rs. in Lac Proposed Total Additional Provision
1	EC Bharatpur	2203-00-104-(09)-[00]-92	90.00	9.00	8.00	107.00
2	WEC Ajmer	2203-00-104-(10)-[00]-92	54.00	4.00	4.00	62.00
3	EC Banswara	2203-00-796-(05)-[00]-92	43.00	8.00	8.00	59.00
4	CTAE Udaipur	2415-01-277-(01)-[02]-92	56.00	3.00	4.00	63.00
5	EC Ajmer	2203-00-104-(06)-[00]-92	130.00	3.00	3.00	136.00
6	EC Jhalawar	2203-00-104-(08)-[00]-92	80.00	2.00	3.00	85.00
7	EC Bikaner	2203-00-104-(07)-[00]-92	62.00	4.00	4.00	70.00
8	MLVTEC Bhilwara	2203-00-104-(04)-[00]-92	55.00	5.00	5.00	65.00
9	UCET Bikaner	2203-00-102-(07)-[00]-92	30.00	5.00	4.00	39.00
10	MBM Jodhpur	2202-03-102-(20)-[06]-92	72.00	3.00	3.00	78.00
11	UD Kota	2203-00-102-(05)-[00]-92	128.00	4.00	4.00	136.00
	Total		800.00	50.00	50.00	900.00

- स्वीकृति अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्सब्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तांतरण व अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
- व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में महालेखाकार/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
- निजी निक्षेप खाते हस्तांतरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि कोई हो तो दिनांक 31.03.2022 तक राजकोष में जमा करवाई जावे।
- व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग के आई.डी क्रमांक 102200260 दिनांक 24.01.2022 के तहत प्राप्त सहमति के आधार पर अनुसरण की जा रही है।

भवदीय

(डॉ. नीम गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (युप-3) विभाग।
- निदेशक वित्त (बजट) विभाग को वित्त (व्यय-1) विभाग की आई डी क्रमांक 102200260 दिनांक 24.01.2022 की प्रति भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृत राशि 900.00 लाख रु (अक्षरे नौ सौ लाख मात्र) संस्थानों के पी.डी. खाते में हस्तांतरण करने हेतु कोषाधिकारी भरतपुर/ अजमेर/ बासवाडा/ उदयपुर/ झालावाड/ बीकानेर/ भीलवाडा/ जोधपुर/ कोटा को निर्देश प्रदान करे।
- निदेशक प्राविधिक शिक्षा/ वित्तीय महालेखाकार प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर।
- निवासी, लेखापरीक्षा अधिकारी, (महालेखाकार), शासन सचिवालय, जयपुर।
- कोषाधिकारी, भरतपुर/ अजमेर/ बासवाडा/ उदयपुर/ झालावाड/ बीकानेर/ भीलवाडा/ जोधपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.